न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 18/2024

पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण (अजमेर) जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

सकीना पत्नि श्री सुरेश, जाति नामालूम, निवासी ग्राम खरखेड़ी, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, अजमेर

.....अप्रार्थिया

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–

1– श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।

2– श्री मंगलनाथ योगी, वकील गैर निगरानीकार की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–14.05.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर संकल्प संख्या 03 दिनांक 08.11.2021 की अनुपालना में ग्राम अजयसर, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर की आबादी भूमि में से सकीना पत्नि श्री सुरेश, जाति नामालूम, निवासी ग्राम खरखेड़ी, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, अजमेर के पक्ष में दिनांक 08.11.2021 को आबादी भूमि का पट्टा संख्या 26 क्षेत्रफल 201.66 वर्ग गज पूर्व का कब्जा मानते हुए जारी कर दिया। निगरानीकार ने अप्रार्थिया के पक्ष में जारी किए गये आक्षेपीय पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थिया के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थिया ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अप्रार्थिया द्वारा ग्राम पंचायत अजयसर में पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थिया के पुश्तैनी काबिज होने पर पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों एवं विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया। उन्होने आगे कथन किया कि कुछ वर्षों से बाहर निवास कर रहे अप्रार्थिया के पारिवारिक सगे–सम्बन्धियों द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टे बाबत ऐतराज कर उच्च अधिकारियों को शिकायत करने पर ग्राम पंचायत

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

द्वारा की गई जांच में यह निष्कर्ष पाया गया कि अप्रार्थिया एवं आपत्तिकर्ता के पूर्वज आपस में सगे सम्बन्धी भाई थे एवं आपत्तिकर्ता के पूर्वज प्रारम्भ से ही भूखण्ड के कब्जाधारी थे। आपत्तिकर्ता पिछले कई वर्षों से निवास नहीं कर रहा था। ग्रामवासियों की जानकारी अनुसार अप्रार्थिया बाउण्ड्रीवॉल कर एक कमरे के निर्मित मकान में जो कई वर्षों से निवास कर रही थी। ग्रामवासियों द्वारा ग्राम पंचायत अजयसर को उक्त तथ्यों की जानकारी प्रदान करने एवं आपसी भाई–बन्धुओं के विवाद होने के कारण तथा उच्चाधिकारियों को शिकायत के आधार पर विवाद होने की स्थिति में आक्षेपित पट्टा विवादित होने के कारण दिनांक 06.06.2024 को ग्राम सभा की बैठक आहूत की जाकर आक्षेपीय पट्टे को तत्काल निरस्त करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। फलस्वरूप पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिये विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि विवादित पट्टा अवैध व शून्य होने के कारण निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत अजयसर द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.11.2021 निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थिया का कथन है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी याचिका में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये है। उन्होने कथन किया कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच आवश्यक पक्षकार हैं। निगरानीकार द्वारा उन्हे पक्षकार बनाया जाना चाहिये था क्योंकि पट्टा जारी करते समय सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की अहम भूमिका रहती है। ग्राम पंचायत अजयसर द्वारा अप्रार्थिया को प्रशासन गांवों के संग अभियान में पट्टा कमेटी द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल व कब्जा रिपोर्ट एवं समस्त पट्टा शर्तों की पालना करने के आधार पर ग्राम पंचायत की आबादी में बने आवासीय मकान का नियमानुसार पट्टा जारी किया गया था। आक्षेपीय पट्टा उप पंजीयक अजमेर प्रथम में रजिस्टर्ड करवाया गया है एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार जारी कर्ता ग्राम पंचायत को नहीं है एवं ना ही ग्राम पंचायत प्रस्ताव द्वारा अपने पूर्व में पट्टा जारी करने हेतु लिये गये प्रस्ताव को निरस्त कर सकती है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज को केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। अन्य कार्यपालक न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। वकील अप्रार्थिया का आगे कथन है कि अप्रार्थिया गांव की गरीब महिला है जो उसकी उक्त पुश्तैनी सम्पत्ति में अपने बाल–बच्चों व पशु धन सहित मकान बाड़ा में आबाद है व बिजली का कनेक्शन ले रखा है। झूठी व नाम मात्र की शिकायत होने के आधार पर ग्राम पंचायत अप्रार्थिया के विरूद्ध अनुचित कार्यवाही नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.2024 को कोई प्रस्ताव लिया हो, उसकी जानकारी अप्रार्थिया को नहीं है। प्रस्ताव में अप्रार्थिया को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत था किन्तु सरपंच द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना कर केवल राजनैतिक द्वेषतावश अनियमित कार्यवाही की गई है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय आपत्ति मांगी जाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया था एवं निश्चित समयावधि में आपत्ति नहीं आने पर विचाराधीन पट्टा जारी किया गया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपीय

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

पट्टा ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, अजमेर द्वारा जारी किया गया है किन्तु निगरानीकार द्वारा तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में उनके द्वारा कर्तव्यनिष्ठा व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने को आधार बनाया गया है जबकि वे आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में होने से उन्हे पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक था। हम वकील अप्रार्थिया के इन कथनों से सहमत हैं कि पट्टा जारी करने में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की अहम भूमिका होती है। विचाराधीन निगरानी याचिका में सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत अजयसर को आवश्यक पक्षकार निरूपित किये बिना नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी के कारण निगरानी संधारण योग्य नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जाती है। वे चाहें तो सरपंच एवं ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत अजयसर को आवश्यक पक्षकार संयोजित कर नये सिरे से निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(ज्योति ककवानी)
आर.ए.एस.
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर